

कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
इन्दौर संभाग इन्दौर
मध्यप्रदेश

पू0क्रमांक/स्थापना/2018/...../8307

इन्दौर, दिनांक 04.10.18

:- आदेश :-

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल म.प्र. द्वारा समूह-1 (उप समूह-3) के अन्तर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा नवम्बर 2017 में प्रतीक्षा सूची में रखे गये निम्नांकित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-7 में रूपये 28,700/- न्यूनतम मूल वेतन एवं शासन द्वारा तत्समय देय महगाई भत्ते पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, उनके नाम के सामने दर्शाये गये विकासखंड/संस्था में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क.	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	संवर्ग	नियुक्ति पदस्थापना स्थल का नाम
1	772679945	श्री लोकेन्द्र सिंह भदौरिया	अनारक्षित	विकासखंड बाग जिला धार
2	772680009	हिमाका मिश्रा	अनारक्षित	विकासखंड डही जिला धार
3	772678026	खुशबू वर्मा	अनु0जाति	विकासखंड भावरा जिला अलीराजपुर
4	772684185	श्री विवेक मरकाम	अ0ज0जा0	विकासखंड पेटलावद जिला झाबुआ
5	772679064	श्री महेश बघेल	अ0ज0जा0	विकासखंड उदयगढ जिला अलीराजपुर

नियुक्ति की शर्तें :-

1. नियुक्ति नितान्त अस्थायी है । उक्त नियुक्ति किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी ।
2. चयनित उम्मीदवार को नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल, हायर सेकेन्डी, एम.ए. समाजशास्त्र (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण) की अंकसूची/डिग्री यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र, पी.ई.बी. द्वारा नवम्बर 2017 में आयोजित परीक्षा की अंक सूची, आधार पहचान पत्र की छायाप्रतियाँ मूलप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगी ।
3. नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी ।
4. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवाएँ बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी ।
5. उल्लेखित उम्मीदवारों का जिला/विकासखंड का परिवर्तन बिना संचालनालय की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा ।

Pl. n. Hoal / SA
04.10.2018

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

1/21

6. चयनित उम्मीदवार द्वारा अपने सम्बंध में कोई गलत/भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने, शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार सेवाएँ समाप्त कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
7. चयनित उम्मीदवार को आदेश जारी होने के 15 दिवस की समयावधि में नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।
8. चयनित उम्मीदवार को नियमानुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. इस नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
10. चयनित उम्मीदवार शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ट रहेगा ।
11. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है ।




क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/स्थापना/2018/...../8308
प्रतिलिपि :-

इन्दौर, दिनांक 04/10/18

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल ।
5. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल ।
6. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
7. अपर संचालक, (परिवार कल्याण) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
8. कलेक्टर, जिला-धार, झाबुआ, एवं बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार, अलीराजपुर एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
10. जिला कौषालय, अधिकारी धार, अलीराजपुर एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित उम्मीदवार की ओर पालनार्थ ।


04/10/18

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश



क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.)

1/2/1

5. उल्लेखित उम्मीदवारों का जिला/विकासखंड का परिचयन विलय संचालनालय की पूरा अनुमति के नहीं किया जा सकेगा ।
6. घयनित उम्मीदवार द्वारा अपने सम्बन्ध में कोई सरकारी/पत्रिका/सम्बन्धी प्रमाणित प्रमाणित या अन्य प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार सजाय/सम्बन्धी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
7. घयनित उम्मीदवार अपने आदेश जारी होने के 15 दिनों की अवधि में नियुक्ति पत्र पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, समयाधिसि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।
8. घयनित उम्मीदवार को नियमानुसार निवृत्ति/कर्मकाण्ड/अधिकारी को नियुक्ति पत्र का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. इस नियुक्ति पर अशुद्धी पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
10. घयनित उम्मीदवार सरस्वती के प्रति पूर्ण रूप से समिद्धि होगा ।
11. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में रखे शासन द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति वर्ग का पालन किया गया है ।

क्षेत्रीय संचालक

स्वास्थ्य सेवाएं, शासन संचालित, (मिड)

पू० क्रमांक/स्थापना/2018/6545-55

सागर, दिनांक 04-10-18

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शोधक, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. निदेश संचालक, एन.एच.एन. अरेरा हिल्स, भोपाल ।
4. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल ।
5. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल ।
6. अपर संचालक, (परिवार कल्याण) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल ।
7. कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, पन्ना एवं छतरपुर, मध्यप्रदेश ।
8. मुख्य विकिस्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़, पन्ना एवं छतरपुर को जिला कलेक्टर लेख हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध बतवावे । जॉय कर ही परस्पर संचालनालय पर उपस्थित करावे ।
9. जिला कोषालय, अधिकारी टीकमगढ़, पन्ना एवं छतरपुर, मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित उम्मीदवार की ओर पालनाथ ।

LSA
10/10/18

क्षेत्रीय संचालक

स्वास्थ्य सेवाएं, शासन संचालित, (मिड)

अप संचालक (परिवार कल्याण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
उज्जैन संभाग उज्जैन
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/2018/5522

उज्जैन, दिनांक 4.10.18

:- आदेश :-

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल म.प्र. द्वारा समूह-1 (उप समूह-3) के अन्तर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा नवम्बर 2017 में प्रतीक्षा सूची में रखे गये निम्नांकित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-7 में रूपये 28,700/- न्यूनतम मूल वेतन एवं शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, उनके नाम के सामने दर्शाये गये विकासखंड/संस्था में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क.	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	संवर्ग	नियुक्ति पदस्थापना स्थल का नाम
1	772676300	श्री रामलाल सिसोदिया	अ.पि.व. /अनारक्षित	विकासखंड पालसोडा जिला नीमच
2	772679531	श्री अमित प्रसाद अखंडे	अ0ज0जा0	विकासखंड मनासा जिला नीमच

नियुक्ति की शर्त :-

1. नियुक्ति नितान्त अस्थायी है । उक्त नियुक्ति किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी ।
2. चयनित उम्मीदवार को नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री, एम.ए. समाजशास्त्र (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण) की अंकसूची/डिग्री यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाण-पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र, पी.ई.बी. द्वारा नवम्बर 2017 में आयोजित परीक्षा की अंक सूची, आधार पहचान पत्र की छायाप्रतियाँ मूलप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगी ।
3. नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी ।

निरंतर.....2

Pl. upload

4.10.2018

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

4. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवाएँ बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी ।
5. उल्लेखित उम्मीदवारों का जिला/विकासखंड का परिवर्तन बिना संचालनालय की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा ।
6. चयनित उम्मीदवार द्वारा अपने सम्बंध में कोई गलत/भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने, शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार सेवाएँ समाप्त कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
7. चयनित उम्मीदवार को आदेश जारी होने के 15 दिवस की समयावधि में नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।
8. चयनित उम्मीदवार को नियमानुसार नियुक्तकर्ता अधिकारी को जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. इस नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
10. चयनित उम्मीदवार शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ट रहेगा ।
11. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है ।

क्षेत्रीय संचालक

स्वास्थ्य सेवाएँ, उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)
उज्जैन, दिनांक 4-10-18.

पृ0क्रमांक/स्थापना/2018/5523/
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल ।
5. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल ।
6. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के पत्र क्रमांक-3रुप.क. /सेल-2/2018/962 भोपाल दिनांक 29.09.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
7. अपर संचालक, (परिवार कल्याण) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
8. कलेक्टर, जिला- नीमच मध्यप्रदेश ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच मध्यप्रदेश ।
10. जिला कोषालय, अधिकारी नीमच मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित उम्मीदवार की ओर पालनार्थ ।

LSA

04.10.2018

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्षेत्रीय संचालक

स्वास्थ्य सेवाएँ, उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर (म0प्र0)

पू0क्रमांक/स्थापना/2018/...../

ग्वालियर, दिनांक

- आदेश :-

प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल म.प्र. द्वारा समूह-1 (उप समूह-3) के अन्तर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा नवम्बर 2017 में प्रावीण्य सूची में चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-7 में रूपये 28,700/- न्यूनतम मूल वेतन एवं शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, उनके नाम के सामने दर्शाये गये विकासखंड/संस्था में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	संवर्ग	नियुक्ति पदस्थापना स्थल का नाम
1	772689106	श्री वेदप्रकाश भार्गव	अनारक्षित	विकासखंड श्योपुरकलॉ जिला श्योपुर
2	772688329	श्री प्रदीप कुशवाह	अनारक्षित	विकासखंड विजयपुर जिला श्योपुर
3	772688757	प्राची गुप्ता	अनारक्षित	विकासखंड पिछोर जिला शिवपुरी
4	772687198	मोनिका गडेकर	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकासखंड करैरा जिला शिवपुरी

नियुक्ति की शर्त :-

1. नियुक्ति नितान्त अस्थायी है । उक्त नियुक्ति किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी ।
2. चयनित उम्मीदवार संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, डाईस्कूल, हायर सेकेन्डी, एम.ए. समाजशास्त्र (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण) की अंकसूची/डिग्री यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र, पी.ई.बी. द्वारा नवम्बर 2017 में आयोजित परीक्षा की अंक सूची, आधार पहचान पत्र की छायाप्रतियाँ मूलप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगी ।
3. नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी ।
4. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवाएँ बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी ।
5. उल्लेखित उम्मीदवारों का जिला/विकासखंड का परिवर्तन बिना संचालनालय की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा ।
6. चयनित उम्मीदवार द्वारा अपने सम्बंध में कोई गलत/भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने, शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार सेवाएँ समाप्त कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
7. चयनित उम्मीदवार को आदेश जारी होने के 15 दिवस की समयावधि में नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।

Pl. upload

13A
04.10.2018

निरंतर.....2

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

8. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल के निर्देश क्र3/प.क./सेल-2/2018/962 भोपाल, दिनांक 29.09.2018 में उल्लेख अनुसार अभ्यर्थियों की पदस्थापना हेतु दिनांक 09.08.2018 को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जिला आबंटन की चॉइस फिलिंग संपादित की गई थी जिसके प्रतीक्षा सूची में मेरीट के आधार पर पदस्थापना के आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
9. चयनित उम्मीदवार को नियमानुसार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी को जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
10. इस नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
11. चयनित उम्मीदवार शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा ।
12. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है ।

(डॉ ए0के0दीक्षित)

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ,
ग्वालियर (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/स्थापना/2018/...../13011-24
प्रतिलिपि :-

ग्वालियर, दिनांक 3-10-18

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल ।
5. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल ।
6. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
7. अपर संचालक, (परिवार कल्याण) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल के निर्देश क्र.3/प.क./सेल-2/2018/962 भोपाल दिनांक 29.09.2018 के परिपालन में ।
8. कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, श्योपुर मध्यप्रदेश ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्योपुर, शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
10. जिला कोषालय, अधिकारी श्योपुर एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित उम्मीदवार की ओर पालनार्थ ।

3A
04.10.2018
उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ,
ग्वालियर (म.प्र.)